न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 49/2025

GCMS No. : 2025/44

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।

1. कमला देवी पत्नी बचनाराम
2. केसरी पुत्री लाबूराम
3. नोरतमल पुत्र बचनाराम
4. पेमाराम पुत्र छगाराम जातियान कुम्हार साकिन निमाज
5. भगवानलाल पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी निमाज
6. भंवरूराम पुत्र छगाराम
7. मदनलाल पुत्र लाबूराम
8. राजूदेवी पुत्री बचनाराम जाति कुम्हार निवासी निमाज

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू :- 13.02.2025

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।

-:: निर्णय ::- दिनांक :- 24.11.2025

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 745 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर सरहद मौजा- निमाज, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील-जैतारण** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***कमल सुपर मार्केट दूकान बना***कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादी द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक** 20.12.2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का **निमाज प्रथम** ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **अकृषि (कमल सुपर मार्केट दूकान)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है।

24.11.2025

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि (क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित पद संख्या 1 वादपत्र से सरहद मौजा **ग्राम निमाज प्रथम खसरा नंबर 745 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर किस्म चाही प्रथम** में से रकबा 0.0132 **हैक्टेयर** में से प्रतिवादी को बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को न्यायालय हाजा में बार बार आवाजें दिलाई गई बावजूद सम्मन/तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज, उभयपक्षकारान बहस का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी **खसरा नंबर 745 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर किस्म चाही प्रथम सरहद मौजा- निमाज प्रथम तहसील-जैतारण** में स्थित है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर **कमल सुपर मार्केट दूकान** बनाकर काम में लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर **कमल सुपर मार्केट दूकान** बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा **पटवारी, पटवार हल्का निमाज प्रथम** की मौका फर्द दिनाँक 20.12.2024 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती हैं। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर **कमल सुपर मार्केट दूकान** के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर एवं अकृषि कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी **ग्राम निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम** के **खसरा नंबर 745 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर किस्म चाही प्रथम** के संबंध में तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत दावा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के अकृषि के रूप में उपयोग लिये जा रहे **रकबा 0.0132 हैक्टेयर** के संबंध में भलीभांति साबित होता है, प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के रकबा 0.0132 **हैक्टेयर** में बिना सक्षम अनुमति के **कमल सुपर मार्केट दूकान** कृषि भिन्न व्यवसायिक गतिविधियां कारित कर कृषि भूमि पर अहितकर व अकृषि कार्य किया जाना साबित है।

अतः दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के कुल रकबा 1.0926 **हैक्टेयर** में से खातेदारान् प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में से 0.0132 **हैक्टेयर भाग** की अभिधृतियां निर्वापित करते हुए सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर मौके से भौतिक रूप से खातेदारान् की बेदखली करते हुए कब्जा राज प्राप्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी **सरहद मौजा– निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील–जैतारण, खसरा नंबर 745 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, में से कुल 0.0132 हैक्टेयर भूमि** जो कि वाद–पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट अनुसार नक्शे में रेखांकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

24.11.2025

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण**
बईजलास :– **श्री मनोज कुमार मीणा , आर0ए0एस0**

वादीः–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।		1. कमला देवी पत्नी बचनाराम 2. केसरी पुत्री लाबूराम 3. नोरतमल पुत्र बचनाराम 4. पेमाराम पुत्र छगाराम जातियान कुम्हार साकिन निमाज 5. भगवानलाल पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी निमाज 6. भंवरूराम पुत्र छगाराम 7. मदनलाल पुत्र लाबूराम 8. राजूदेवी पुत्री बचनाराम जाति कुम्हार निवासी निमाज

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा , 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **मु0न0 :रा0वा0 स0: 49/2025**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। **वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील–जैतारण, खसरा नंबर 745 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, में से कुल 0.0132 हैक्टेयर** भूमि जो कि वाद–पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट अनुसार नक्शे में रेखांकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/11/2025 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	—Nil—		मिजानः–	—Nil—	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)